पत्रावली सं0-80-2099/79/2023

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-5/2025/3491286/अस्सी-2-2025
लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर,2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-पच्चीस सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि मै0 संतोष नगर मण्डी पता-O, KARA, कमंगलपुर थुलगुला, जनपद कौशाम्बी के स्वामित्वाधीन नीचे दी गयी सारणी में वर्णित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, शाक-भाजी व फल के थोक सौदों हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल होगा जहाँ कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

मण्डी उपस्थल की गाटा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति-अजुहा, कौशाम्बी के मण्डी क्षेत्र के भीतर अवस्थित गाटा/आराजी संख्या-11, 12, 13, 14, 15 व 16 के कुल क्षेत्रफल 0.4910हे0।

पूरब - सैनी से लेहदरी रोड
पश्चिम - आराजी संख्या-27, 28, 9 व 10 श्रीमती सविता शुक्ल आदि की भूमि
उत्तर - आराजी संख्या-5 श्री आशीष कुमार आदि की भूमि
दक्षिण - आराजी संख्या-17 श्रीमती सविता शुक्ल आदि की भूमि

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2025/3491286/अस्सी-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग,लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अँग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 31अक्टूबर,2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
5- सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति,अजुहा, कौशाम्बी।
6- उप निदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, प्रयागराज।
7- सहायक कृषि विपणन अधिकारी, प्रयागराज।
8- ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कौशाम्बी।
9- श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार की फर्म मै0 संतोष नगर मण्डी पता-O,KARA, कमंगलपुर थुलगुला, जनपद कौशाम्बी।
10- गार्ड बुक।

रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.-5/2025/ 3491286/80-2-2025 Dated : 31 October,2025

NOTIFICATION

No.- 5/2025/3491286/80-2-2025

Lucknow; Dated : 31 October,2025

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No.XXV of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed in the table below owned by M/s Santosh Nagar Market, address - O,KARA, Kamangalpur Thulgula, District Kaushambi shall be Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, vegetables and fruits for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no Market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Gata and Boundaries of the Market Sub-Yard

Gata /Araji No. **11**, **12**, **13**, **14**, **15** and **16**, Total area-0.4910 hac. located within Krishi Utpadan Mandi Samiti- Ajuha, Kaushambi.
East - Saini to Lehdari Road West - Araji No. **27**, **28**, **9** and **10** land of Mrs. Savita Shukla etc. North - Araji No. **5** Land of Shri Ashish Kumar etc. South - Araji No. **17** Land of Smt. Savita Shukla etc.

By order,

Ravinder

Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।